बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ०प्र०–1–120/2018 851 /पटना, दिनांक :– 19.4.22

श्री जय प्रकाश, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव सम्प्रति सेवानिवृत से प्राप्त अभ्यावेदन में लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज वाद सं0–1/लोक (ग्रा0का0वि0) 31/2010 में माननीय सदस्य (न्यायिक), लोकायुक्त, बिहार द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 के आलोक में मामले में वसूलनीय राशि रू0–8,585/– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव के कार्यालय में जमा कर दिये जाने के आधार पर मामले को समाप्त करते हुए पूर्ण सेवान्त लाभ देने का अनुरोध किया गया।

2. उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 में मामले से संबंधित श्री जय प्रकाश, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव सहित कुल 25 दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी एवं संवेदक से कुल रू0–15,82,607/–की वसूली करने का निदेश दिया गया था, जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव को संबंधित अभियंताओं/कर्मचारियों/संवेदकों से वसूली की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

3. श्री जय प्रकाश के अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 1249 अनु0 दिनांक 06.09.2021 द्वारा कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव को श्री प्रकाश द्वारा वसूलनीय राशि जमा कर दिये जाने का सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 1165 दिनांक 19.09.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि श्री जय प्रकाश, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध निर्धारित की गई वसूलनीय राशि 8585.00 रूपये (आठ हजार पॉच सौ पचासी) मात्र की रकम को चेक सं0–093341/24.12.2020 द्वारा इस प्रमंडल को समर्पित किया जा चुका है। तदनुरूप चेक सं0–093341/24.12.2020 को कोषागार में चलान के माध्यम से संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री जय प्रकाश, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रश्नगत मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री जय प्रकाश, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रश्नगत मामले को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18.4.22

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ०प्र०–1–120/2018 852 /पटना, दिनांक :– 19.4.22

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री जय प्रकाश, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डुमरॉव सम्प्रति सेवानिवृत, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.4.22
उप सचिव